फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... **सहायक कलक्टर** .... मुकाम– .... **डीडवाना** ....

प्रार्थी :– रामनिवास पुत्र भंवरूराम जाति गुर्जर निवासी गुर्जरों की ढाणी आगुन्ता, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगणः– तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान वगैरा।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या..**74** ...सन्–.....**2020**..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
31.07.2020	प्रार्थी रामनिवास पुत्र भंवरूराम जाति गुर्जर निवासी गुर्जरों की ढाणी आगुन्ता, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान वगैरा ने पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये। वकील प्रार्थी का तर्क है कि नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता मार्क ए से बी भूमि (गै0मु0 कटाण रास्ता वाके सरहद आगुन्ता के खसरा नं0 1003 रकबा 0.90 हैक्टयर) पर प्रार्थीगण की फसल खडी है तथा वर्तमान में उक्त रास्ता बन्द है तथा ग्राम आगुन्ता की सरहद के खसरा सं0 1006 के उत्तरी सींव–सींव रास्ता चालू है। अतः खसरा सं0 1003 पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि खसरा सं0 1003 गै0मु0 रास्ता से प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ना तो स्वयं बेदखल करें और ना ही कोई रास्ता मौके पर कायम करें। तर्को पर मनन किया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाके सरहद आगुन्ता के खसरा सं0 1003 जिसकी किस्म गै0मु0 रास्ता जमाबन्दी में दर्ज है। वर्तमान में रास्ता खोलों अभियान चल रहा है जिसमें भी उक्त प्रकरण चिन्हित है। अतः रास्ता की भूमि पर स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनाँक 06.08.2020 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
6/8/20	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान P.O. सा. अवकाश, अन्य कार्य हेतु बाहर पधारे हैं। मिसल दिनांक 3/9/20 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.06.04 12:10:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

20/11/24

पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण मय उपस्थित। अप्रार्थीगण को तामील हेतु P/F व RAD पेश करने के लिए पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। आयन्दा हेतु एक और अंतिम अवसर दिया जाकर अन्यथा पेश न होने पर O-9 R-5 CPC की कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली दिनांक 6/12/24 को पेश हो।

Vikas

6/12/2024 पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी तथा उसके अधिवक्ता को बार-बार आवाजें लगाई गई परन्तु आवाजों के बावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली अपने नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.06.04 12:10:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner